


24.05.2024:—पत्रावली आज पेशी में आई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल वादपत्र राजीनाम अनुसार डिक्री हो गया। मूल वाद पत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। इसलिए वादपत्र डिक्री होने के कारण उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तक मील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
बनुमानगढ़

